न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/164

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्रीलाल
2. विजेन्द्र पुत्र रमेश चन्द समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी रामसिंहपुरा तहसील टहला जिला अलवर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत कुण्डला पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर।
2. श्रीलाल पुत्र सेडूराम जाति ब्राह्मण निवासी रामसिंहपुरा तहसील टहला जिला अलवर।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर आदेश दिनांक 03.10.2023 वाद संख्या 12/11/2022 उनवानी राजेन्द्र कुमार बनाम ग्राम पंचायत कुण्डला वगै0।

उपस्थित–

1. श्री भगवान सहाय शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री विजय सिंह राठौड वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
3. श्री राजेश बैरवा स्वयं उपस्थित रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–04.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 03.10.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के समक्ष ग्राम पंचायत कुण्डला द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 05.06.2023 को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा अपील अस्वीकार किये जाने के आदेश दिनांक 03.10.2023 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 03.10.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 03.10.2023 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर कथन किया कि आराजी खाता सं. 75 के खसरा नं 196, 200, 203 लगायत 208, 221, 233, 234,, 236, 237, 364, 366, 367, 370, 371, 372, 375, 376, 386, 391, 410, 412 कुल किता 29 कुल रकबा 2.94 हैक्टेयर वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील राजगढ (वर्तमान तहसील टहला) जिला अलवर में स्थित भूमि के खातेदार रामजीलाल 1/2 हिस्से की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत कुण्डला द्वारा अवैध तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 02 के नाम मृतक रामजीलाल के हिस्से का नामान्तकरण संख्या 85 स्वीकृत किया गया था। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा माननीय अधीनस्थ अदालत के समक्ष पेश होने पर विधि विरूद्ध तरीके से सरसरी तौर पर स्वीकार कर खारिज दी गई।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि स्व. रामजीलाल पुत्र सेडुराम जाति ब्राह्मण निवासी रामसिंहपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर अपीलान्ट राजेन्द्र प्रसाद का पिता एवं अपीलान्ट विजेन्द्र का दादा श्रीलाल पुत्र सेडूराम का सगा भाई था। रामजीलाल अविवाहित था जिसकी कोई संतान थी। मृतक रामजीलाल अपीलान्ट के पास ही रहता था अपीलान्ट ने ही मृतक रामजीलाल की सेवा श्रुषसा की थी। मृतक रामजीलाल ने अपीलान्ट के हक में अपने जीवन काल में दिनांक 23.08.2001 को अपने हिस्से आराजी एवं अन्य अचल सम्पत्ति के बाबत एक वसीयतनामा अपीलान्ट के हक में दो स्टाम्प कीमती पाँच–पाँच रूपये पर तहरीर करवाकर अपने हस्ताक्षर किये। मृतक रामजीलाल ने उक्त वसीयत को रूबरू गवाहान स्वयं रेस्पोडेन्ट श्रीलाल, रामजीलाल बैरवा, सिरदारसिंह, भगवान सहाय कुम्हार एवं कल्याण सहाय शर्मा पुत्र मांगीलाल शर्मा निवासी राजगढ की मौजूदगी में नोटरी पब्लिक जी हजारीलाल मीना एडवोकेट से उक्त वसीयत को सत्यापित करवाया है। माननीय अधीनस्थ अदालत ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर कतई गौर नही कर कानूनी भूल की है। ग्राम पंचायत कुण्डला द्वारा नामान्तकरण संख्या 85 दिनांक 05.06.2003 अवैध तरीके से विधि विरुद्ध स्वीकृत किया है जो कानूनन ग्राम पंचायत को किसी लाऔलाद मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी का निर्णय करने का कोई हक अधिकार नही है। रेस्पोडेन्ट सं. 02 ने ग्राम पंचायत से मिलकर साज करके अवैध तरीके पर रामजीलाल के हक के हिस्से का नामान्तकरण स्वयं के नाम खुलवाया है। जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 02 को यह भली–भांति जानकारी में रहा है कि मृतक राजमीलाल ने अपने जीवन काल में ही अपनी चल–अचल सम्पत्तियों की वसीयत अपीलान्ट के नाम करवा दी है। रेस्पोडेन्ट सं. 02 स्वयं उस वक्त साक्षी के तौर पर मृतक रामजीलाल के साथ मौजूद रहा है और उक्त वसीयत पर एक गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किये थे और अपनी सहमति दी थी। ग्राम पंचायत कुण्डला द्वारा मृतक रामजीलाल के नामान्तकरण को स्वीकृत करते समय कानूनी प्रक्रियाओं की पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा न तो कोई उज्रदारी नोटिस जारी किया गया ना ही कोई साक्ष्य ली गई। ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 02 श्रीलाल की मृतक रामजीलाल का वारिस मानकर नामान्तकरण स्वीकृत करने में भारी कानूनी भूल की है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर 03.10.2023 निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त प्रश्नगत आराजी से अपीलांट्स का कोई संबंध नहीं है।

ना ही अपीलांट के पक्ष कोई वसीयत स्व0 रामजीलाल द्वारा की गई है। अपीलांट जिस वसीयत दिनांक 23.08.2001 का उल्लेख किया है उसमें किसी भी खसरा नं. और मकानात आदि का विवरण अंकित नहीं है। उक्त वसीयत दिनांक 23.08.2001 को निष्पादित की गई एवं दिनांक 03.09.2002 को नोटेरी द्वारा तस्दीक की गई है। वसीयत कर्ता रामजीलाल की मृत्यु दिनांक 12.08.2002 को मृत्यु हो गई थी तो प्रार्थीगण द्वारा 20 वर्षो तक वसीयत के आधार पर अपने नाम नामान्तरकरण तस्दीक कराने की कार्यवाही क्यों नहीं कराई गई एवं ना ही उक्त तथाकथित वसीयत को उजागर किया गया। जबकि रामजीलाल की कृषि भूमि का नामान्तरकरण उसके भाई के नाम विधिवत् मृत्यु के तुरन्त बाद दर्ज हो गया। एवं उसके विवादग्रस्त आराजीयात को दिनांक 19.11.2003 को बैंक को रहन रख दिया गया। अपीलांट द्वारा स्व0 रामजीलाल की सम्पत्ति हडपने के उद्देश्य से फर्जी वसीयत तैयार कर उसका प्रयोग किया है। अपीलांट का उक्त विवादग्रस्त आराजी से कोई संबध नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के समक्ष ग्राम पंचायत कुण्डला द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 05.06.2023 को गलत बताते हुये वसीयत दिनांक 23.08.2001 के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने की प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा अपील अस्वीकार किये जाने के आदेश दिनांक 03.10.2023 को दिये गये। अपीलार्थीगण की आपत्ति है कि मृतक रामजीलाल ने अपने जीवन काल में ही अपनी चल–अचल सम्पत्तियों की वसीयत अपीलान्ट्स के नाम करवा दी है। रेस्पोडेन्ट सं. 02 स्वयं उक्त वसीयत पर एक गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के संबंध में अपंजीकृत होने का तथ्य अंकित किया है। जबकि कानूनन वसीयत का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत् सभी तथ्यों एवं वसीयत का उचित रूप से अवलोकन करते हुये निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.10.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को साक्ष्य, सुनवाई एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर